उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

:- निर्माण कामगार हितार्थ अक्षमता पेंशन योजना :-

बोर्ड अधिसूचना संख्या-9542-8673/भ0नि0(91)-2011, दिनांक 18.11.2011 द्वारा अधिसूचित

1. योजना का नाम :- निर्माण कामगार हितार्थ अक्षमता पेंशन योजना

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पंजीकृत कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर लाभार्थी एवं उसके परिवार के भरण-पोषण हेतु नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पूर्ण एवं स्थायी अक्षमता का आशय 50 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता से है।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि :-

1- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो ।

2- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

3- इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं उपरोक्तानुसार अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा।

4. हितलाभ :-

योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत या इससे अधिक) अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से प्रतिमाह रु0 1000.00 बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवन काल तक देय होगा।

यहाँ बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठ रोग, कैंसर, तपेदिक या किसी ऐसी अन्य गम्भीर बीमारी से है, जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित निर्माण श्रमिक पूर्ण एवं स्थाई

रूप से (50 प्रतिशत या इससे अधिक) अक्षम हो गया हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि बोर्ड द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य पेंशन योजना की स्थिति में ऐसा लाभार्थी श्रमिक केवल उसी योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने का अधिकारी होगा जिसकी पेंशन की धनराशि अधिक हो।

5- आवेदन प्रक्रिया :-

(1) लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से तीन माह के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार कार्यालय अथवा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर फोटोयुक्त आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी/मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) तीन माह के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण पाए जाने पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है किन्तु छः माह के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ★[2]

6- हित-लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया, अभिलेखों का रखरखाव एवं सूचना प्रेषण की प्रक्रिया -

(1)- योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/खण्ड विकास कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर यथा सम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वाँछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेगें ताकि आवेदक निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हों।

(2)- जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त

होने की तिथि से 10 दिन के अंदर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए।

(3)- जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि के स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किये जाएगें। जिलाधिकारी यदि ऐसा आवश्यक/वाँछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जाँच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से कर सकते हैं अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जाँच टीम गठित करते हुए समयबद्व स्थलीय जाँच करवा सकते हैं। स्वीकृति सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होने के 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाए।

(4) यह पेंशन हितलाभ एक बार में केवल एक ही वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत की जायेगी। अगले वर्ष के लिये प्रक्रिया पैरा 6(8) में अंकित है।

(5)- प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

(6)- जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 15 दिन के भीतर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 10 दिन के भीतर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि का उल्लेख करते हुए निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाते का नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड का आगामी 06 माह में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाए परन्तु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है, तब तक इस प्रस्तर में उल्लिखित पूर्व निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(7)- इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए लाभार्थी को 10 दिन के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा और

उससे प्राप्त रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित की जाएगी।

(8)- लाभार्थी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 'जीवित होने का प्रमाण पत्र" किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को 20 अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा ताकि स्वीकृति आदेश के सम्बन्ध में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु पेंशन की धनराशि निर्गमित की जा सके। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु पेंशन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सकगा। जीवित होने का प्रमाण पत्र किसी भी समय वांछनीय होने पर उपलब्ध करवाया जाना लाभार्थी का स्पष्ट दायित्व होगा।

(9)- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा ऐसा अपेक्षित होने की स्थिति में पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांचोपरांत अक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करके निर्धारित समय में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10)- इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

नोट :-★[1] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 396-402/भ0नि0बो0(91)-2013, दिनांक 25.06.2013 द्वारा संशोधित।

★[2] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्याः 7409--7500/भ0नि0बो0(95)-2013, दिनांक16.09.2011 द्वारा विलम्बित प्रार्थना पत्र योजनाओं में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत विलम्बमोचन के अधिकार समस्त जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किये गये है।

अक्षमता पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र

पंजीकृत श्रमिक का पासपोर्ट साइज का एक अभिप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाए।

1. पंजीकृत श्रमिक का नाम :–
2. पंजीकृत श्रमिक के निवास का पूर्ण पता :–
3. पंजीयन संख्या एवं तिथि :–
4. पंजीकृत श्रमिक की जन्म तिथि एवं आयु :–
5. पिता / पति का नाम :–
6. अन्तिम अभिदान के भुगतान की तिथि :–
7. पंजीकृत श्रमिक के बैंक / पोस्ट आफिस खाते का विवरण :–

   अ– खाता संख्या :–
   ब– बैंक / पोस्ट आफिस का नाम :–
   स– शाखा एवं पूर्ण पता :–

8. पूर्ण एवं स्थायी अक्षम घोषित हो जाने की तिथि :–
   (सक्षम स्तर से अक्षमता / विकलांगता के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र की तिथि ही पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम घोषित होने की तिथि होगी)
9. स्थाई अक्षमता का अभिप्रमाणित प्रतिशत :–
10. पूर्ण एवं स्थायी अक्षमता का कारण (बीमारी / दुर्घटना) :–
    (पूर्ण विवरण इस कालम में दिए जायें)
11. अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की सूची :–

    (क) सक्षम स्तर से जारी अक्षमता / विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति

    (ख) बोर्ड द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति

मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य एवं सही हैं। .....

स्थान:
दिनांक:

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

:– प्राप्ति–रसीद –:

श्री / श्रीमती / कु0.....पिता / पति का नाम .....

..... लाभार्थी पंजीकरण संख्या..... से आज दिनांक .....

को एक प्रार्थना–पत्र .....योजना के अंतर्गत प्राप्त किया। प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित विवरणों के साथ संलग्नक नत्थी हैं।

1–
2–
3–
4–
5–

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर :.....
नाम, पदनाम व मुहर :.....
.....
दिनांक :–.....

अक्षमता पेंशन योजना हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच परीक्षण–आख्या

1. आवेदन पत्र में लाभार्थी कर्मकार के अंकित नाम व पते सम्बन्धी सूचना : सही ☐ गलत ☐
2. आवेदन पत्र में अंकित पंजीयन संख्या/पंजीयन की तिथि : सही ☐ गलत ☐
3. आयु एवं जन्म तिथि–अभिलेखों के आधार पर : सही ☐ गलत ☐
4. अन्तिम अभिदान एवं उसके भुगतान की तिथि : सही ☐ गलत ☐
5. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण पास–बुक के अनुसार : सही ☐ गलत ☐
6. पिता/पति का नाम : सही ☐ गलत ☐
7. स्थायी रूप से अक्षम अथवा विकलांग घोषित होने की तिथि सही ☐ गलत ☐
8. आवेदन पत्र में अंकित कोई सूचना या विवरण असत्य पाये जाने पर सही सूचना/विवरण का स्पष्ट उल्लेख:– (किसी बिन्दु की सूचना गलत है, तो सही सूचना अंकित की जाये)

   .....

   .....

9. आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा : .....

   .....

   .....

   .....

स्थान:.....

दिनांक.....

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर .....

जांच अधिकारी का नाम.....

जांच अधिकारी का पदनाम.....

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"अक्षमता पेंशन योजना"** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 1336/36–2–11, दिनांक 08.11.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"अक्षमता पेंशन योजना"** इस प्रतिबन्ध के साथ अधिसूचित की जाती है कि योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाले देयताओं का वित्त–पोषण भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्यों पर लगने वाले सैस व अन्य श्रोतों से होने वाली आय से किया जायेगा।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक: 8542-8623 /भवन निर्माण–(91)/2011, दिनांक– 18/11/ ,2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1336/36–2–11, दिनांक 08.11.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक: यथोक्त।

(बी0के0 राय)
उप सचिव, बोर्ड।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 8542–8673/भवन निर्माण(91)/2011, दिनांक 18.11.2011 के माध्यम से अक्षमता पेंशन योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1473/छत्तीस–2–12–227/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत या इससे अधिक) अक्षम घोषित हो जाने की तिथि से प्रतिमाह रू0 1000/– बतौर पेंशन लाभार्थी को उसके जीवन काल तक देय होगा।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक – 396-402 /भ0नि0बो0( )–2013, दिनांक– 25.6.2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1473/छत्तीस–2–12–227/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लेखराज मार्केट–2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016 (उ0प्र0)
टेलीफोन:91–522–2324000/01, फैक्स: 91–522–2344002, टोल फ्री: 18001805412
ई–मेल: upbocboardlko@gmail.com

अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–5472(b)/भ0नि0बो0–2017 दिनांक 03.01.2017 में लिपिकीय त्रुटिवश अनापत्ति संख्या–1837/छत्तीस–2–2016/251(एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 03.01.2017 के स्थान पर अनापत्ति संख्या–1873/छत्तीस–2–2016/251(एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 03.01.2017 अंकित किया गया है।

अतः अधिसूचना में अंकित अनापत्ति संख्या–1873/छत्तीस–2–2016/251 (एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 03.01.2017 के स्थान पर अनापत्ति संख्या–1837/छत्तीस–2–2016/251(एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 03.01.2017 अंकित किये जाने की सीमा तक अधिसूचना संख्या–03.01.2017 संशोधित की जाती है। शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

भवदीय,
(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बार्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक– 5472(c)/भ0नि0बो0(91)–16 दिनांक – 03.01.2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2– समस्त मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, लखनऊ।
4– समस्त अपर/उप/सहायक व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
5– अपर श्रमायुक्त उ0प्र0 कानपुर (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6– गार्ड फाइल हेतु।
7– श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–1837/छत्तीस–2–2016/251 (एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 03.01.2017 के कम में सूचनार्थ।

भवदीय,
(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बार्ड।

अधिसूचनाः:

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 8542–8673/भ0वन निर्माण(91)/2011, दिनांक 18.11.2011 के माध्यम से अक्षमता पेंशन योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–1873/छत्तीस–2–2016/251(एस0एम0)/95टी0सी0–III दिनांक 03 जनवरी, 2017 के क्रम में योजना के प्रस्तर–4 हितलाभ के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण स्थायी रूप में अक्षम पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को श्रेणीवार करते हुए अकुशल श्रमिकों के लिए रू0 1,000/– एवं अर्धकुशल को रू0 1,250/– तथा कुशल को रू0 1,500/– प्रतिमाह अक्षमता पेंशन उसके जीवनकाल तक देय होगा।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगें।

उपरोक्त संशोधन की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि योजनान्तर्गत दिये जाने वाले सभी भुगतानों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर मोड में किया जाना सुनिश्चित करे तथा यदि अभी तक कोई कार्ययोजना न बनायी गयी हो तो यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाकर 01 वर्ष में 100 प्रतिशत लाथार्थियों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, निम्नानुसार अनापत्ति प्रदान की जाती है।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 कानपुर।

पत्रांक– 5472(6)/भ0नि0बो0(91)–2017 दिनांक 03.01.2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल हेतु।
6. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या दिनांक 3.01.2017 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्रमायुक्त, उ0 प्र0, कानपुर।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।